



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.1/स.अ.अ.अ./प्रति./22/2806

जयपुर, दिनांक :- 15/7/22

—:आदेश:—

श्री यशवन्त चौधरी, हाल सहायक अभियन्ता, जिला परिषद जोधपुर द्वारा पत्र प्रस्तुत कर समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर सेवा देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री चौधरी को समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर अग्रिम उपस्थिति देने हेतु अनापत्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1. उक्त अधिकारी की विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा संबंधित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/ग्रुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी राज्यादेशों में वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहेंगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

५

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
5. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जोधपुर।
7. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, राजस्थान जयपुर।
8. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. श्री यशवन्त चौधरी, सहायक अभियन्ता, जिला परिषद जोधपुर।
10. एसीआर शाखा, मुख्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

५

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)